न्यायालय सिविल जज(सी.डि.) जौनपुर।

वाद संख्या–478/2022
मालती देवी बनाम रमेश।

20.10.2022

पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। प्रार्थना–पत्र 6ग वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय समर्थित शपथ–पत्र 7ग पर वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरू0 प्रश्नगत जायदाद जिसका नगरपालिका नम्बर 29ए है, के स्थाई निषेधाज्ञा एवं मुवाहिदानामा दिनांकित 04.02.2011 एवं बैनामा दिनांकित 26.11.2019 को शून्य घोषित किये जाने के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। चूँकि वादिनी द्वारा मुवाहिदानामा एवं बैनामा को शून्य घोषित किये जाने का भी अनुतोष चाहा गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र 6ग वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रतिवादीगण को भी सुना जाना आवश्यक है। बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय रूप से अस्थाई व्यादेश जारी किये जाने के आधार पर्याप्त नही हैं। अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई 6ग दिनांक 03.11.2022 को पेश हो।

सिविल जज(सी.डि.) जौनपुर।

8ग प्रार्थना–पत्र अदालत अमीन पर सुना। स्वीकृत। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन नियत तिथि तक प्रार्थना–पत्र में दिये गये तथ्यों के अनुक्रम में वास्तविक स्थिति अंकित कर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

सिविल जज(सी.डि.) जौनपुर।

Digitally signed by Jyoti Agarwal
Date: 2022.10.22 12:50:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Jaunpur